

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)


केसरा पिता छगना मीणा नि. रतनपुरा वगैरा

बनाम

सोराज पिता कवरीलाल मीणा नि. कुराडिया वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 127/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिक्षियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुये
30 11.21	<p>प्रार्थना पत्र प्रशासन गोंवों के संग अभियान में पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम धांधोला प. ह. कुराडिया तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 621/1 रकबा 0.3240 है., आ.न. 621/2 रकबा 0.8640 है. स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थीगण है। सीमा चिन्हो को लेकर प्रार्थी से विवाद करते रहते है। आये दिन खेत के अपनी कृषि आराजियात की स्थाई सीमा चिन्हो की जानकारी नही होने के कारण आये दिन हंकाई, बुवाई, कटाई के समय अक्सर सीमा बिन्दु को लेकर विवाद होता रहता है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है। पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम धांधोला प. ह. कुराडिया तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 621/1 रकबा 0.3240 है., आ.न. 621/2 रकबा 0.8640 है. की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अगिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500- रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी गौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट क्षिप्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 30.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

  
उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर(भीलवाडा)